संख्याः 826 / 264 / रा0यो0आ0 / 2018 / टी0सी0

I/39850/2022 प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव, सचिव/अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. मंडलायुक्त,
गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल,
उत्तराखण्ड।

राज्य योजना आयोग **देहरादूनः** **दिनांकः** 09 **जून, 2022**

विषयः विभिन्न विभागों द्वारा रू0 5.00 करोड़ एवं उससे अधिक लागत की स्वीकृत निर्माण कार्य सम्बन्धित परियोजनाओं को जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से प्रभावी अनुश्रवण हेतु विकसित Capital Dashboard के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड राज्य के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। ये परियोजनाएं केन्द्र पोषित/राज्य पोषित अथवा अन्य कार्यक्रमों के अधीन क्रियान्वित होती हैं।

2–इन परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराते हुए उन्हें जनोपयोगी बनाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वीकृत तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूर्ण होना तभी सम्भव है जब उनका सतत अनुश्रवण सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग एवं उच्च स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चत किया जाय।

3–विश्व बैंक सहायतित यू0के0पी0एफ0एम0एस0 परियोजना के अन्तर्गत राज्य योजना आयोग, नियोजन–विभाग के तत्वावधन में सी0पी0पी0जी0जी0 एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से वाह्य सहायतित परियोजनाओं के Online अनुश्रवन हेतु Capital Dashboard विकसित किया गया है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैः–

(i) विभिन्न विभागों द्वारा रू0 5.00 करोड़ एवं उससे अधिक लागत की स्वीकृत निर्माण कार्य सम्बन्धित परियोजनाओं को जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर नियमित व सत्त अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना।

(ii) उन परियोजनाओं को चिन्हित किया जाना, जिनके क्रियान्वयन में विलम्ब हो गया है अथवा विलम्ब सम्भावित है, जिससे कि विलम्ब के कारणों को ज्ञात कर समय से सुधारात्मक प्रशासनिक कदम उठाये जा सकें व उत्तरदायित्व निर्धारण किया जा सके।

(iii) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संस्थाओं को परियोजना के प्रति उत्तरदायी व जबावदेह बनाना, जिससे कि वे भी पूर्ण मनोयोग से परियोजनाओं को पूर्ण करने व जनोपयोगी बनाने में क्रियाशील हो।

(iv) Capital Dashboard में रू0 5.00 करोड़ या उससे अधिक लागत के मार्ग, पेयजल योजनाएं, सीवर/ड्रेनेज परियोजनाएं तथा अन्य निर्माणाधीन परियोजनाएं इत्यादि सम्मिलित होंगी। परियोजना की ईकाई लागत के आधार पर उसे Capital Dashboard इत्यादि में सम्मिलित करने अथवा न करने पर निर्णय लिया जायेगा।

4–परियोजनाओं का माइलस्टोन के आधार पर अनुश्रवण

(i) शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर परियोजनाओं की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत की जाती है।

(ii) नवीन वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने के पश्चात सम्बधित प्रशासनिक विभाग एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि वह स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष में परियोजना को अलग–अलग चरणों में विभाजित करते हुए प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की सम्भावित तिथियों का निर्धारण करेंगें, जिन्हें परियोजना के माइलस्टोन के रूप में जाना जायेगा। प्रत्येक परियोजना के एक से अधिक माइल स्टोन्स होगें। इन माइलस्टोन्स में टेंडर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियॉ/अनापत्तियॉ, निर्माण कार्य के अलग–अलग चरण, उपकरण क्रय, पद सृजन तथा अवस्थापना को सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कर क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। तद्नुसार माइलस्टोन को निर्धारित कर इनका विवरण Capital Dash board पर दर्ज करायेगें, तत्पश्चात निर्धारित माइलस्टोन के आधार पर ही परियोजनाओं का अनुश्रवण किया जायेगा।

5–प्रत्येक परियोजनाओं हेतु नोडल अधिकारियों का नामांकनः–

प्रत्येक परियोजना का प्रशासनिक विभाग वह विभाग होगा जिसके द्वारा परियोजना की स्वीकृति के आदेश शासन स्तर पर निर्गत किये गये हैं। स्वीकृत परियोजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर अथवा अधीनस्थ कार्यालयों पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगें।

6–नोडल अधिकारी के कार्यः–

(i) प्रथम बार परियोजना की स्वीकृत आदेश निर्गत करते ही एक सप्ताह में Capital Dash board में उसका विवरण दर्ज करना।

(ii) भविष्य में जब भी विभाग द्वारा आगामी किश्तों की स्वीकृति अथवा वित्तीय स्वीकृति निर्गत होगें तो भी उसके विवरण को शासनादेश निर्गत होने के एक सप्ताह में Capital Dashboard में दर्ज करना।

(iii) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से विचार–विमर्श के पश्चात स्वीकृति की तिथि से एक पक्ष में निर्धारित हुए माइल स्टोन का विवरण Capital Dashboard में दर्ज करना।

(iv) इन कार्यों के सम्पादन हेतु प्रत्येक प्रशासनिक विभाग को एक User-Id व Password राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। जो अपने अधीनस्थ कार्यालयों हेतु पुनः User बना सकेंगे।

(v) प्रत्येक परियोजना की प्रगति को नियमित रूप से Capital Dashboard में दर्ज करना, जैसे–जैसे परियोजना के माइल स्टोन पूर्ण होते है, वैसे–वैसे उन माइल स्टोन के पूर्ण होने की प्रगति Dashboard में अंकित कराना।

(vi) परियोजना में हुए व्यय/वित्तीय प्रगति की अदयावधिक (Updated) सूचना सम्बधित परियोजना के सापेक्ष नियमित रूप से Dashboard में अंकित करना।

(vii) परियोजना की भौतिक प्रगति को भी समय–समय पर Dashboard में अंकित करना।

7–परियोजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण की व्यवस्था–

(i) सभी प्रशासनिक विभाग तत्काल नोडल अधिकारी नामित करते हुए राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन को सूचित करेगे।

(ii) प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजनाओं की स्वीकृति आदेश निर्गत होते ही नोडल अधिकारी के माध्यम से उनका विवरण Capital Dashboard में दर्ज हो जाये। कार्यदायी संस्था से विचार–विमर्श कर निर्धारित समय में माइलस्टोन का विवरण Capital Dashboard में दर्ज हो तथा परियोजना की वित्तीय व भौतिक प्रगति भी प्रणाली में नियमित रूप से दर्ज करें।

(iii) प्रत्येक प्रशासनिक विभाग Capital Dashboard का प्रयोग करते हुए प्रत्येक माह अपने विभाग से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठकें कर सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा बैठकों में विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा:–

- परियोजनाओं की प्रगति निर्धारित माइलस्टोन के आधार पर हो रही है अथवा नहीं।
- उन परियोजनाओं का चिन्हीकरण जिसमें माइलस्टोन की प्राप्ति में विलम्ब हुआ हो।
- परियोजना के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के कारणों को ज्ञात कराना तथा दायित्व निर्धारित करते हुए परियोजनाओं में अपेक्षित गति सुनिश्चित करना।
- यदि माइलस्टोन के विलम्ब में किसी प्रकार की प्रशासनिक/अन्य बाधा आ रही है तो सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर उसे दूर कराना।
- अगर निर्धारित प्राविधानों के अनुसार व्यय हो रहा है तो उपभोग प्रमाण पत्र समय से प्राप्त करते हुए आगामी किश्त को निर्गत करने हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- जो योजनाएं पूर्ण हो गयी हैं उसे सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित करते हुए क्रियाशील/जनोपयोगी करवाना।

8– नोडल विभाग के उत्तरदायित्वः–

राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग के समस्त विभागों की परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। नोडल विभाग के रूप में आयोग के निम्नलिखित दायित्व होंगे:–

- समस्त स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं का अनुश्रवण पूर्व की भांति यथावत नियोजन विभाग करेगा।

I/39850/2022

- सतत अनुश्रवण करते हुए यह सुनिश्चित कराना है कि प्रशासनिक विभाग Capital Dashboard से सम्बन्धित दिशा–निर्देश व उनको दिये गये दायित्वों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन कर रहे हैं अथवा नहीं, किसी प्रकार का अनुपालन न होने तथा शिथिलिता बरते जाने के प्रकरण को मुख्य सचिव व उच्च स्तर के अधिकारियों के संज्ञान में लाना।
- प्रत्येक माह विभागवार परियोजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा मुख्य सचिव एवं समय–समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी को इस प्रगति से पत्रावली/बैठक के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।
- प्रशासनिक विभाग को User Id व Password उपलब्ध कराना।
- Capital Dashboard का रख–रखाव राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग करेगा।
- राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों के नोडल अधिकारियों को उक्त Dashboard सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

इस शासनादेश तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सभी विभाग व कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करेंगे, जिससे परियोजनाओं का अनुश्रवण प्रभावी ढंग से हो सके।

यह भी अपेक्षा की जाती है कि उत्तराखण्ड राज्य के विकास के इस महत्वपूर्ण एजेण्डे पर सभी विभाग व कार्यदायी संस्थाएं उनको दिये गये दायित्वों को निर्धारित समय–सीमान्तर्गत के निर्वहन सुनिश्चित करेंगे व इसका उपयोग करते हुए उनके अधीन लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 02-06-2022 13:29:07

(डॉ0 एस0एस0 सन्धु)
मुख्य सचिव।

पत्रांक संख्या: 826/264/रा0यो0आ0/2018 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. एस0आई0ओ0, सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड राज्य एक्क, देहरादून।
3. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी0पी0पी0जी0जी, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।